

कार्यालय, आय कर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या : आ.नि.(छूट)/मु.न./८०-जी/2661/2007/2008-09

निर्धारित का नाम और पता : SATSANG SARITA CHARITABLE TRUST
C/o. Mrs. Meenal R. Choudhari,
Abhijit Apartment, Plot 9-B, 7th Floor, 11th Road,
JVPD Scheme, Mumbai 400 049.
12A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/34423 dated 05/10/1999
आवेदन की तारीख : 22/03/2007
स्था. सं. सं. : AAB TS 9677 C
आदेश की तारीख : 14/07/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2007 से 31/03/2010 तक वैध)

(प्रारंभिक / नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन / आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५) के शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

- संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- न्यास / संस्था के विलेख (deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
- यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए), धारा १२ए(१)(बी) के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३), १०(२३सी)-(vi)(vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५) (i)(ए) के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी. साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.
- संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए देशों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा. आयकर अधिनियम १९६१, की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २.) गार्ड फाईल



— ६० —

(आर. के. सिन्हा)

आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

मनु

(मनुलाल बैठा)

आयकर अधिकारी (तकनीकी), मुंबई.

क्रुते आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

OFFICE OF THE
DIRECTOR OF INCOME-TAX (EXEMPTION)
6th Floor, Piremal Chambers, Lalbaug, Mumbai-400 012

NO. DIT(E)/MC/12-A/ TR / 34423/99-2000

Dated : 5.10.99

To,

SATSANG SARITA CHARITABLE TRUST

C/O MRS. MINAL R. CHOUDHARI, 501,

MAMTA APARTMENT, A.B. NAIR ROAD, NEAR JUHU P.O., JUHU,
MUMBAI - 49.

Sir,

Sub : Registration U/s. 12A of the
Income Tax Act, 1961.

Ref: Your application dated 26/7/99

Please refer to your application on the above subject.

2. The above noted Trust / Institution has been registered on this date U/s. 12A of the I.T. Act, 1961 with effect from 1.4.99 which was created under :

(a) Deed of Trust dated 21.10.97

(b) Memorandum of Association registered with the
Registrar of Societies / Companies on _____

3. This Certificate testifies to the fact of registration U/s. 12A of the I.T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12 & 13 or any other provisions, of I.T. Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

4. The application has been entered at Sr. No. TR/34423 in the Register of Application under section 12A(a) maintained in this office.



Yours faithfully,

M. Kacker

(MRS. MANJARI KACKER)

DIRECTOR OF INCOME TAX
(EXEMPTIONS), MUMBAI.

- Copy to : 1 The Applicant
2 The Addl. DIT(E) - Rg I, Mumbai
3 The Assessing Officer ADI(E)-I(2)
4 Guard File. ITO(HQ) Mumbai

(P.S. NAIK)

ITO(HQ), FOR DIT(E), MUMBAI